

न्यूज़ टुडे

लोकसभा में कृषि सुधारों पर तीन विधेयक पारित किए गए

विधेयक	प्रमुख प्रावधान	विधेयक के प्रावधानों से संबद्ध मुद्दे/चिंताएं
कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह कृषि उपज का कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) में अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों से बाहर उसी राज्य में और अन्य राज्यों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। ○ राज्य सरकारों को APMC क्षेत्रों के बाहर कोई भी बाजार शुल्क, उपकरण या लेवी उद्दग्रहीत करने से प्रतिबंधित किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> ○ यदि किसान अपनी उपज का विक्रय APMC क्षेत्र के बाहर करते हैं, तो राज्य उनसे मंडी शुल्क संग्रहित करने में अक्षम होंगे, जिससे राज्यों के राजस्व में कमी आएगी। ○ यदि कृषि व्यापार, मंडियों से बाहर सम्पन्न होगा, तो राज्यों के कमीशन एजेंटों को भी हानि होगी।
मूल्य आभ्यासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक, 2020 The Farmers' (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या बुआई से पूर्व किसान और खरीदार के मध्य एक समझौते के माध्यम से अनुबंध कृषि (contract farming) के लिए एक रूपरेखा निर्मित करता है। ○ यह एक त्रि-स्तरीय विवाद निपटान तंत्र प्रदान करता है यथा: सुलह बोर्ड, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और अपीलीय प्राधिकरण 	<ul style="list-style-type: none"> ○ सौदेबाजी की क्षमता के आधार पर किसान अनुबंध कृषि व्यवस्था में कमज़ोर पक्ष होंगे। ○ कॉर्पोरेट प्रायोजक अधिसंचयक लघु और सीमांत किसानों से अनुबंध करने में असर्वत्त्व होंगे। ○ बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ता के होने के कारण प्रायोजक किसी भी विवाद की स्थिति में अपने सुदृढ़ पक्ष में होंगे।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 The Essential Commodities (Amendment) Bill, 202	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसका उद्देश्य खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपजों को "विनियमन-मुक्त" करना है। ○ यह युद्ध आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर ऐसी वस्तुओं की स्टॉकहोल्डिंग सीमाओं को समाप्त करता है। ○ कृषि उपज पर स्टॉक सीमाएं तभी आरोपित की जा सकती हैं, जब कीमत में तीव्र वृद्धि होती है। 	<ul style="list-style-type: none"> ○ स्टॉकहोल्डिंग सीमा आरोपित करने के लिए मूल्य की निर्धारित सीमाएं बहुत अधिक हैं। ○ बड़ी कंपनियों को जिसों के भंडारण (stock) की स्वतंत्रता होगी, जिसका अर्थ है कि वे किसानों के लिए शर्तें निर्धारित कर सकती हैं। ○ प्याज पर निर्यात प्रतिबंध का हालिया निर्णय इसके कार्यान्वयन पर संदेह उत्पन्न करता है।

भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक संपन्न हुई:

○ महत्वपूर्ण मुद्दे, जिन पर चर्चा की गईं:

- मंत्रियों ने अधिक समावेशी, प्रतिक्रियाशील और भागीदारीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संरचना निर्मित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में त्वरित एवं व्यापक सुधारों का आवान किया।
- ❖ उन्होंने दोहराया कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अभिशासन संरचना, जॉडूरा शांति और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के निवारणार्थ अप्रचलित एवं निष्प्रभावी हो गई है।
- इस बैठक में IBSA-सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की गई तथा सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, दक्षिण-दक्षिण सहयोग आदि जैसे वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया गया।
- कोविड-19 महामारी का सामना करने के दौरान प्राप्त हुए अनुभव साझा किए गए तथा निर्धनता और भुखमरी के उन्मूलन के लिए IBSA-फंड द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई।

○ भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) के बारे में:

- इसे वर्ष 2003 में ब्रासीलिया घोषणा द्वारा निर्मित किया गया था और यह विशुद्ध रूप से समान विचारधारा वाले देशों का एक दक्षिण-दक्षिण सहयोग समूह है।
- सहयोग के 3 मोर्चे हैं यथा— राजनीतिक और आर्थिक अभिशासन के वैश्विक संस्थानों में सुधार, देशों के साझे लाभ के लिए परियोजनाओं पर सहयोग तथा IBSA-फंड।
- ❖ IBSA फंड दक्षिण-स्वायत्त्व, दक्षिण-नेतृत्व और मांग-संचालन के अधीन है तथा अल्प विकसित देशों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही यह विकासशील देशों के लिए परिवर्तनकारी परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme: ADP) की एक आकलन रिपोर्ट जारी की गई

○ यह अध्ययन अमेरिका स्थित "सोशल प्रोग्रेस इन्प्रेटेव" द्वारा संचालित किया गया था, जिसे हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसरों तथा भारत के इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्प्यूटिव्स (Institute for Competitiveness, India) द्वारा स्थापित किया गया था।

○ मुख्य निष्कर्ष:

- अधिकांश जिलों द्वारा अभी अपने लक्ष्यों का 40%-90% पूर्ण करना है तथा न तो कोई स्पष्ट उपलब्धि प्राप्त जिला है और न ही कोई ऐसा जिला है जिसने कठिनपय प्राप्ति न की हो।
- ❖ आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 5 क्षेत्रक शामिल हैं यथा— स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना।
- जिलों में अधिकतम प्रगति स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिगोचर हुई है।
- अधिकांश जिलों के लिए कृषि और वित्तीय समावेशन वित्ता के मुख्य क्षेत्र हैं।
- सर्वोत्तम प्रथाओं के तीन मुख्य क्षेत्रों सामने आए हैं यथा— जागरूकता अभियान, विभिन्न हितधारकों (सरकार, निजी और नागरिक समाज) के मध्य सहयोग तथा डेटा संचालित शासन।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) देश के अधिकांश अविकसित जिलों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार में तेजी लाने के लिए वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश भर के 112 जिलों में लागू किया गया है।
- कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा में केंद्र एवं राज्य योजनाओं का अभिसरण (Convergence), केंद्र, राज्यों और जिलों के मध्य सहयोग (Collaboration) तथा एक जन आंदोलन द्वारा संचालित जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा (Competition among districts) शामिल है।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की भागीदारी

○ राज्य सभा को एक लिखित उत्तर में सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिक निजी भागीदारी की अनुमति प्रदान करने के लिए हाल ही में आरंभ की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित किया है।

➢ 500 से अधिक निजी कंपनियों हैं, जो इसरो (ISRO) के साथ सामग्री-आपूर्ति, मशीन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तंत्र विकास, एकीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में भागीदार हैं।

○ आरंभ की गई पहलें:

➢ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) का निर्माण किया गया है। यह निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष अवसरचना का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा तथा उन्हें प्रोत्साहनकारी नीतियों और एक अनुकूल विनियामक तंत्र के माध्यम से उनका सहयोग करेगा, उन्हें बढ़ावा देगा व उनका मार्गदर्शन भी करेगा।

➢ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के लिए नई भूमिका निर्धारित की गई है, जिसमें प्रमोशन यानों का निर्माण, प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना, उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि शामिल होंगे।

❖ NSIL का उद्देश्य इसरो और निजी क्षेत्र के मध्य व्याप्त अंतराल को समाप्त करना तथा इसरो प्रौद्योगिकियों को इन उद्योगों को अंतरित करना है।

○ लाभ:

➢ निजी क्षेत्र की भागीदारी से अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और गतिविधियों के सामाजिक-आर्थिक उपयोग को बढ़ावा प्राप्त होगा।

➢ इससे इसरो, अनुसंधान और विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, अचेषण मिशनों और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम होगा।

➢ नौकरियों का सृजन होगा तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा आदि में वृद्धि होगी।

پاکستان د्वारा گیلگیت-بالتستان (G-B) کو سभی سंवैधानिक اधिकार देकर पूर्ण प्रांत का दर्जा प्रदान करने की योजना निर्मित की जा रही है

- वर्ष 2018 में पाकिस्तान सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान (G-B) आदेश पारित किया था। इसका उद्देश्य G-B को अपने पांचवें प्रांत के रूप में शामिल करना और इसे पाकिस्तान के शेष संघीय ढांचे के साथ एकीकृत करना था।
 - इससे पूर्व, भारत ने दुदत्तपूर्क कहा था कि संपूर्ण संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र भी शामिल हैं, भारत के अभिन्न भाग हैं तथा पाकिस्तान या इसकी न्यायपालिका के पास अवैध एवं बलात रूप से अधिकृत किए गए क्षेत्रों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।
 - वर्ष 1994 के भारत के संसदीय संकल्प में यह पुनर्पुष्टि की गई थी कि यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर राज्य का एक हिस्सा है, जो वर्ष 1947 में इसके अधिग्रहण (विलय) के आधार पर भारत का अभिन्न अंग है।
 - G-B जम्मू-कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, परन्तु कबीलाई लड़ाकों और पाकिस्तान सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के उपरांत वर्ष 1947 के अंत से यह पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन है।
 - गिलगित-बाल्टिस्तान (G-B) का महत्व:
 - सामरिक अवस्थिति: गिलगित-बाल्टिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और चीन के त्रिसंगम बिंदु पर स्थित है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) गिलगित-बाल्टिस्तान से ही होकर गुजरता है।
 - जल और ऊर्जा संसाधन: सियाचिन ग्लेशियर जैसे महत्वपूर्ण हिमनद भी गिलगित-बाल्टिस्तान में ही स्थित हैं। साथ ही, सिंधु नदी यहीं से होकर गुजरती है।

अन्य सुर्खियाँ

<p>वैसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो-स्पैशल कोऑपरेशन (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial cooperation: BECA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत द्वारा आगामी भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में BECA मूलभूत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को लेकर उत्सुक है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ BECA भारत और अमेरिकी सेनाओं को एक-दूसरे के साथ भू-स्थानिक एवं उपग्रह द्वारा प्रेषित डेटा साझा करने की अनुमति प्रदान करेगा। ○ भारत ने अब तक तीन मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं यथा: लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), कम्युनिकेशन्स कम्पैटिविलटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) और जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA)।
<p>एयर बबल समझौते (Air Bubble Agreements)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ये कोविड-19 महामारी के कारण नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित होने के उपरांत वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को पुनर्प्रारंभ करने के प्रयोजनार्थी दो देशों के मध्य किए गए अस्थायी समझौते हैं। ○ ये पारस्परिक समझौते हैं, अर्थात् दोनों देशों की एयरलाइंस को एक समान लाभ प्राप्त होते हैं। ○ भारत ने 10 देशों यथा- संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, अफगानिस्तान और बहरीन के साथ एयर बबल समझौते किए हैं।
<p>संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ लोकसभा में विपक्षी दलों ने MPLADS निधि के पुनर्स्थापन की मांग की है, जिसे सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए निलंबित कर दिया गया है। ○ MPLADS एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यक्रमों की अनुशंसा कर सकते हैं। <ul style="list-style-type: none"> ➢ राज्यसभा सांसद उस राज्य में, जहां से वे निर्वाचित हुए हैं, एक या एक से अधिक जिलों में विकास कार्य करवाने की अनुशंसा कर सकते हैं। ➢ मनोनीत सदस्य देश के किसी भी एक राज्य के किसी एक या अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं।
<p>फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद (Development Council for Footwear and Leather Industry: DCFLI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाल ही में, उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 25 सदस्यीय (अध्यक्ष सहित) DCFLI का गठन किया गया है। ○ DCFLI को भारत में श्रम गहन फुटवियर और चमड़ा क्षेत्रों की संवृद्धि के लिए प्रचार एवं विकासात्मक उपायों के निर्माण तथा कार्यान्वयन हेतु स्थापित किया गया है। ○ यह भारत में उच्च गुणवत्ता युक्त विस्वस्तरीय यूनिट्स और चमड़े के उत्पादों के विकास, डिजाइनिंग एवं विनिर्माण में काफी सक्रिय भूमिका निभाएगा। जिससे घरेलू उत्पादन में बढ़ावारी होगी व निर्यात भी प्रोत्साहित होगा।
<p>छात्रों के मध्य रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए AICTE की स्पाइसेज (SPICES) योजना AICTE-SPICES (Scheme for Promoting Interests, Creativity and Ethics among Students)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस योजना को छात्रों के मध्य उत्तम सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों (co-curricular activity) को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। ○ यह योजना छात्रों की रुचियों, रचनात्मकता और नैतिकता को बढ़ावा देकर उनके चहुंमुखी विकास के लिए छात्र-कलब (students club) के गठन हेतु संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ एक कलब को संस्था के अन्य कलबों और अन्य संस्थानों के कलबों के लिए एक आदर्श (Model) के रूप में कार्य करना चाहिए।
<p>भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages: CIIL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ CIIL शिक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। ○ CIIL की स्थापना वर्ष 1969 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी: <ul style="list-style-type: none"> ➢ भारतीय भाषाओं का समन्वित विकास करना। ➢ अल्पभाषियों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का संरक्षण व दस्तावेजीकरण करना। ➢ गैर-देशी शिक्षार्थियों को 15 भारतीय भाषाओं में शिक्षित कर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देना। ➢ भाषा के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह व सहायता प्रदान करना। ○ CIIL कई कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे कि भारतीय भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय भाषा केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा आदि।
<p>बाग छपाई (Bagh Print)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ बाग छपाई मध्य प्रदेश के बाग (धार जिले) में प्रचलित प्राकृतिक रंगों वाली एक पारंपरिक हस्त आधारित ब्लॉक प्रिंट (ठप्पा छपाई) कला है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ बाग छपाई की उत्पत्ति सिंध से हुई है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। ○ बाग छपाई में उपयोग की जाने वाली डाई पादप-आधारित हैं और इसमें मुख्यतया लाल एवं काले रंग का प्रयोग होता है। ○ वस्त्र को ज्यामितीय और पुष्ट रचनाओं की प्रतिकृति के साथ मुद्रित किया जाता है। ○ भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड / TRIFED) स्थानीय जनजातीय आबादी को बाग, माहेश्वरी और चंदेरी वस्त्र शिल्प में प्रशिक्षित करने के लिए बढ़वानी (मध्य प्रदेश) में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

 8468022022, 9019066066
 www.visionias.in



४८



લખના



४



४



4



अहमदाबा



पंडीगढ़